171

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3116-तीन/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 3-8-2013 - पारित द्वारा - अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी जिला अशोकनगर - प्रकरण क्रमांक 19/2010-11 अपील

दिमान सिंह पुत्र पहलवान सिंह यादव
ग्राम बड़ेरा तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर ----आवेदक

विरूद्ध

1- घनश्याम सिंह पुत्र गणपत सिंह लोधी
ग्राम बड़ेरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर

2- मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव)
(अनावेदक क्र-2 के पैनल लायर

आ दे श

(आज दिनांक 27 - 10 -2017 को पारित)

अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 19/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-8-2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार चंदेरी को आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम बड़ेरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 239/19/4 के रकबा 1.209 एंव सर्वे नंबर 231 के रकबा 0.400 हैक्टर तथा सर्वे नंबर 136 रकबा 0.105 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.714 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) के व्यवस्थापन की मांग की। तहसीलदार चन्देरी

ने तहसीलदार चन्देरी ने प्रकरण क्रमांक 44 अ 19/1991-92 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनॉक 25-7-1992 पारित करके वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के नाम कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक-1 ने अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी ने प्रकरण क्रमांक 19/2010-11 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3-8-2013 से अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन स्वीकार किया तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु दिनांक 8-8-2013 के लिये नियत किया। इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के समक्ष तहसीलदार चन्देरी के आदेश दिनॉक 25-7-1992 के विरूद्ध अपील 3-5-11 को अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी ऐसा विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता। फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा करने में भूल की है। उन्होंने यह भी बताया कि जब तहसीलदार ने मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत आदेश पारित नहीं किया है तब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 44 के तहत पेश की गई अपील सुनवाई योग्य नहीं थी फिर भी अनुविभागीय अधिकारी ने अग्राह्य अपील को सुनवाई में लेने की भूल की है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 3-8-13 निरस्त किया जाय और निगरानी स्वीकार की जाय।

अनावेदक क्रमांक-1 के अभिभाषक का तर्क है कि जब अनावेदक क्रमांक 1 को तहसीलदार के व्यवस्थापन आदेश दि. 25-7-92 की जानकारी हुई एंव उसे पता चला कि गुपचुप तरीके से भूमि का व्यवस्थापन किया गया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी ने जानकारी के बारे में बताये गये कारणों का समाधान होने पर विलम्ब माफ किया है। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि अभिभाषक ने भूल से धारा 44 अपील मेमो में अंकित कर दिया, किन्तु मामला जिन नियमों के अधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है उन्हीं नियमों में मानकर अनुविभागीय अधिकारी ने सुनवाई में लिया है। निगरानी मामले का निराकरण न होने देने के लिये की गई जो निरस्त की जावे।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार चंदेरी के प्रकरण कमांक 44 अ 19/1991-92 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसील न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ 9 पर इस्तहार की प्रति संलग्न है जिस पर किसी भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है (जिसे गोल घेरे से व्लाक किया गया है) इस्तहार के पीठ पृष्ठ पर तामील कुनिन्दा द्वारा प्रकाशन वावत् टीप है कि एक प्रति ग्राम की चौपाल पर एंव एक प्रति तहसील के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई, नियमानुसार इस्तहार की एक प्रति ग्राम पंचायत को देकर भूमि के सार्वजनिक प्रयोग के सम्बन्ध में प्रस्ताव ठहराव प्राप्त करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत का अभिमत भी प्रकरण में संलग्न नहीं है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी ने माना है कि अनावेदक क्रमांक-1 को सम्यक सूचना नहीं हुई और उसके द्वारा अवधि विधान की धारा-5 में विलम्ब के संबंध में दिये गये कारण समाधानकारक हैं जिसके कारण उन्होंने विलम्ब क्षमा करने में त्रृटि नहीं की है।

6/ जहां तक भूमि व्यवस्थापन आदेश दिनॉक 25-7-1992 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर विचार में लिये जाने का प्रश्न है ? तहसीलदार के आदेश दिनांक 25-7-1992 में यह कहीं भी अंकित नहीं है कि भूमि का व्यवस्थापन उन्होंने राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका चार-3 के अंतर्गत बने नियमों के अंतर्गत किया है क्योंकि इन नियमों में मात्र 0.500 है. तक ही भूमि व्यवस्थापित की जा सकती है। इसके विपरीत तहसदीलदार ने 12-13 साल के कब्जे के आवेदन को आधार मानकर व्यवस्थापन कार्यवाही की है जो संभवतः म.प्र.कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत हो सकती है किन्तु इसका उल्लेख भी तहसीलदार के प्रकरण में एंव आदेश में नहीं है। **मुन्नालाल विरूद्ध लखनलाल** 1974 रा.नि. 226 में **प्रतिपादित दृष्टांत इस प्रकार है :-**

" म.प्र.कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम के अंतर्गत आदेश पारित किया गया। संहिता की धारा 44 के अंतर्गत उक्त आदेश के विरूद्ध अपील संस्थित की जा सकती है। "

यदि काल्पनिक तौर पर यह मान लिया जाय कि तहसीलदार का आदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के अंतर्गत पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्व इन्हीं नियमों की कंडिका 30 के अनुसार प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी को होगी। यदि अभिभाषक की भूल से संहिता की धारा 44 अपील मेमो में लिख दी गई, पक्षकार को न्यायदान की दृष्टि से न्यायालय तद्नुसार मामला संज्ञान में लेकर सुधार करने की अधिकारिता रखता है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी जिला अशोकनगर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 3-8-2013 में फेर-बदल की गुॅजायश नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-8-2013 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर